रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 1985/आश्विन 24, 1907
No. 204] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1985/ASVINA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 12-आई टी सी (पी एन)/85—88

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1985

विषय :—अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिये आयात-निर्यात नीति।

फा०सं० आई पी सी-3/7/85 —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 1-आई टी सी (पी एन)/85—88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिये यथा संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किये गये समझे जायेंगे :—

क्रम सं०	आयात-निर्यात नीति 1985—88 (खण्ड-I की) पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1	38	अध्याय 7 पैरा 127(5)	इस उप-पैरे के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जायेगा — "(5) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इंडिया लि० और भारतीय गैस प्राधिकरण लि० को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उपयोग में देशीयकरण सम्बन्धी प्राधिकृत समिति द्वारा अपेक्षित विदेशी मुद्रा के रिलीज और स्वीकृति के बाद अपनी आवश्यकताओं की मदों का (परन्तु किसी भी प्रकार से वर्णित उपभोक्ता माल को छोड़कर) आयात करने के लिये खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति दी गई है । इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीमाशुल्क प्राधिकारी खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन निकासी की स्वीकृति देंगे । महानिदेशालय तकनीकी विकास या इलैक्ट्रानिकी विभाग से वर्णा दृष्टिकोण से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा ।"
2	39	अध्याय 7 पैरा 127(7)	(7) इस उप-पैरा की सातवीं और आठवीं पंक्तियों में प्रदर्शित शब्द,

1	2	3	4
			"महानिदेशालय तकनीकी विकास/ इलैक्ट्रानिकी विभाग से देशीय दृष्टि से निकासी" के स्थान पर "पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग में देशीयकरण सम्बन्धी प्राधिकृत समिति से स्वीकृति" शब्द रखे जायेंगे।

3 आयात-निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन सार्वजनिक हित में किये गये है ।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 42-ITC(PN)/85—88

New Delhi, the 16th October, 1985.

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

File No. IPC/3/7/85:—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85—88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be deeme dto have been made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1985—88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1	38	Chapter VII Para 127(5)	This sub-para shall be substituted by the following:— "(5) The Oil & Natural Gas Commission, Oil India Limited and Gas Authority of India Limited, have been allowed to import its requirements (but not consumer-goods, howsoever described) under the Open General Licence, after requisite release of foreign exchange and clearance by the Empowered Committee on Indigenisation in the Oil Industry under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The Customs Authority will allow clearance under OGL on production of evidence to this effect. No indigenous clearance will be necessary from DGTD or Department of Electronics."
2.	39	Chapter VII Para 127(7)	The words "indigenous clearance from DGTD/ Deptt. of Electronics" appearing in seventh and eighth lines in this sub-para shall be amended as "clearance from the Empowered Committee on Indigenisation in the Oil Industry under the Ministry of Petroleum and Natural Gas."

3. The above amendments in the Import and Export Policy have been made in the public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985